न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 34/2017 अपील

1.श्री गिरधारी पिता छोगा बनाम गुर्जर निवासी बालापुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

1. श्री रतन लाल लादूराम भण्डारी निवासी खामौर , तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा कोठिया, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा

–अपीलार्थी

– रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्व आदेश तहसीलदार, शाहपुरा बमामले
नामान्तरकरण सं0 1447 निर्णय दिनांक 15.06.2016

उपस्थित –

1. श्री आदित्य नारायण जाजपुरा अधिवक्ता – अपीलार्थीगण की ओर से
2. श्री रमेश चेचाणी अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट सं. 01 की ओर से
3. श्री आर.के.जैन अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट सं. 02 की ओर से
4. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 26.04.2017

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार जहाजपुर को बमामलें नामान्तरकरण सं. 1447 निर्णय दिनांक 15.06.2016 के खिलाफ दिनांक 01.07.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाके ग्राम खामौर तहसील शाहपुरा में स्थित आराजी ख.नं. 222 व 224 किता 02 रकबा 2.52 हैक्ट. भूमि जो राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी के नाम पर खातेदारी अधिकार से अभिलिखित होकर भौतिक रूप से अपीलार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही हैं तथा वर्णित आराजियात बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कोठिया के रहन दर्ज हैं । इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित नामान्तरकरण सं. 1447 निर्णय दिनांक 15.06.2016 पारित करने से पहले अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं. 02 को बिना सुनवाई किये ही विवादित आदेश पारित किया जो त्रुटिपूर्ण हैं। हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण संस्थित करते समय प्रकरण सं. 160/90 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा निर्णय दिनांक 19.07.2000 को आधार स्तम्भ लेकर नामान्तरकरण को संस्थित किया गया । वादग्रस्त आराजियात वाके ग्राम खामौर,

तहसील शाहपुरा में स्थित होकर साबिक आराजी ख.नं. 2017/1377 रकबा 10 बीघा जो खातेदार श्रीमती सुगनी दुख्तर हरदेव गुर्जर, निवासी अमरतिया तहसील हुरडा से अपीलार्थी व श्री अमरचन्द पिता नन्दा गुर्जर ने शामलाती रूप से दिनांक 26.5.1992 को खातेदार को प्रतिफल राशि का भुगतान कर पंजीकृत विक्रय विलेख से भूमि को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया , तभी से खरीदशुदा भूमि अपीलार्थी व श्री अमरचन्द पिता नन्दा गुर्जर के कब्जे काश्त में चली आ रही हैं । अमरचन्द पिता नन्दा गुर्जर निवासी अमरतिया ने अपना हक हिस्सा अपीलार्थी के पक्ष में बेचान किया गया तथा अपीलार्थी ने विक्रेता अमरचन्द को प्रतिफल राशि का भुगतान कर दिनांक 04.04.2000 को अमरचन्द के हक हिस्से की भूमि को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, तभी से सम्पूर्ण आराजियात पर अपीलार्थी काबिज होकर उपयोग, उपभोग करता चला आ रहा हैं । प्रश्नगत आराजियात के बारे में प्रत्यर्थी सं. 01 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के यहां वर्ष 1990 में एक नियमित राजस्व वाद बाबत् कब्जेयाबी इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादी नन्दा पिता ज्वारा गुर्जर श्रीमती सुगनी पत्नी नन्दा गुर्जर व राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा के खिलाफ प्रस्तुत किया । उपखण्ड न्यायालय ने वादी रतनलाल पिता लादूराम भण्डारी की ओर से प्रस्तुत किये गये वादपत्र को दिनांक 19.7.2000 को अन्तिम विनिश्चिय करते हुए दावा वादी डिक्री किया गया । उक्त निर्णय के विरूद्व प्रथम अपील भू प्रबन्ध अधिकारी / पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के न्यायालय में प्रतिवादीया सुगनी पत्नी नन्दा गुर्जर व नन्दा पिता ज्वारा गुर्जर के विधिक वारिसान उनकी पुत्रियों की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपील न्यायालय ने अपील सं. 173/2001 संस्थित कर दिनांक 7.01.2002 को अपना निर्णय प्रसारित कर अपील अपीलार्थीगण अस्वीकार करते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा पारित किये गये । निर्णय दिनांक 19.7.2000 को यथावत रखा गया । इस पर श्रीमती सुगनी पत्नी नन्दा गुर्जर व नन्दा पिता ज्वारा गुंर्जर के विधिक वारिसान कमशः उदी पिता नन्दा, अमरचन्द पिता नन्दा एवं जिया पुत्री नन्दा गुर्जर ने द्वितीय अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की गई जो अपील सं. 21/2002 संस्थित होकर दिनांक 27.08.2003 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रस्तुत अपील मेमों का अन्तिम विनिश्चिय करते हुए अपील अपीलार्थी अस्वीकार की गई । माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के निर्णय दिनांक 27.8.2003 को वर्ष 2016 में 12 वर्ष से भी अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के प्रकरण सं. 160/90 निर्णय दिनांक 19.7.2000 को आधार स्तम्भ लेकर नामान्तरकरण संस्थित कर निर्णित करने में भारी वैधानिक त्रुटि की हैं, क्योंकि किसी भी न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय के उपरान्त डिक्री जारी करने पर यदि किसी डिक्री की 12 वर्ष तक किसी प्रकार से पालना नहीं की गई, तो उस स्थिति में भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 के परिशिष्ठ 136 में अंकित प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार की डिक्री स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाती हैं । यहां यह भी अनुरोध हैं कि दीवानी प्रकिया संहिता आदेश 21 नियम 22 के अन्तर्गत किसी भी डिक्री के जारी होने के पश्चात् 2 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त यदि डिक्रीदार द्वारा न्यायालय के समक्ष डिक्री की

पालना कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता हैं तो उस स्थिति में भी डिक्री के निस्तारण से पहले प्रतिपक्षी / प्रतिवादीगण की सुनवाई किया जाना आवश्यक है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी तथाकथित प्रकरण सं. 160/90 निर्णय दिनांक 19.7.2000 के आधार पर विवादित नामान्तरकरण संस्थित करा निर्णित किया जो विधि के विरूद्व निरस्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के द्वारा पारित किये गये निर्णय में अपीलार्थी पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं होने के उपरान्त भी बिना किसी सुनवाई किये अपीलार्थी के नाम अभिलिखित कृषि भूमि को प्रत्यर्थी सं. 01 के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के लिए विवादित नामान्तरकरण संस्थित कर निर्णित किया, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के भी प्रतिकूल होकर न्याय का हनन हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया नामान्तरकरण स्पष्ट रूप से विधि विरूद्व होकर निरस्त योग्य हैं । अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाके ग्राम खामौर, तहसील शाहपुरा में स्थित आराजी खसना नं. 299,224 किता 02 रकबा 2.52 हैक्ट. भूमि का नामान्तरकरण प्रत्यर्थी के पक्ष में संस्थित किया जाकर दिनांक 15.06.2016 को निर्णित किया गया , उसे निरस्त किया जाकर वादग्रस्त आराजियात पुनः अपीलार्थी के पक्ष में राजस्व अभिलेख में पूर्ववत् अंकितानुसार अभिलिखित रखने हेतु आदेश प्रदान कराया जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 08.07.2016 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किये गये जो दिनांक 28.11.2016 को शामिल पत्रावली किया गया ।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाके ग्राम खामौर तहसील शाहपुरा में स्थित आराजी ख.नं. 222 व 224 किता 02 रकबा 2.52 हैक्ट. भूमि जो राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी के नाम पर खातेदारी अधिकार से अभिलिखित होकर भौतिक रूप से अपीलार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही हैं तथा वर्णित आराजियात बैंक ऑफ बडौदा शाखा कोठिया के रहन दर्ज हैं । इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित नामान्तरकरण सं. 1447 निर्णय दिनांक 15.06.2016 पारित करने से पहले अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं. 02 को बिना सुनवाई किये ही विवादित आदेश पारित किया जो त्रुटिपूर्ण हैं। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के निर्णय दिनांक 27.8.2003 को वर्ष 2016 में 12 वर्ष से भी अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के प्रकरण सं. 160/90 निर्णय दिनांक 19.7.2000 को आधार स्तम्भ लेकर नामान्तरकरण संस्थित कर निर्णित करने में भारी वैधानिक त्रुटि की हैं, क्योंकि किसी भी न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय के उपरान्त डिक्री जारी करने पर यदि किसी डिक्री की 12 वर्ष तक किसी प्रकार से पालना नहीं की गई, तो उस स्थिति में भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 के परिशिष्ठ 136 में अंकित प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार की डिक्री

स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाती हैं । यहां यह भी अनुरोध हैं कि दीवानी प्रकिया संहिता आदेश 21 नियम 22 के अन्तर्गत किसी भी डिक्री के जारी होने के पश्चात् 2 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त यदि डिक्रीदार द्वारा न्यायालय के समक्ष डिक्री की पालना कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता हैं तो उस स्थिति में भी डिक्री के निस्तारण से पहले प्रतिपक्षी / प्रतिवादीगण की सुनवाई किया जाना आवश्यक है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी तथाकथित प्रकरण सं. 160/90 निर्णय दिनांक 19.7.2000 के आधार पर विवादित नामान्तरकरण संस्थित करा निर्णित किया जो विधि के विरूद्व होकर निरस्त योग्य हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाके ग्राम खामौर, तहसील शाहपुरा में स्थित आराजी खसना नं. 299,224 किता 02 रकबा 2.52 हैक्ट. भूमि का नामान्तरकरण प्रत्यर्थी के पक्ष में संस्थित किया जाकर दिनांक 15.06.2016 को निर्णित किया गया , उसे निरस्त किया जाकर वादग्रस्त आराजियात पुनः अपीलार्थी के पक्ष में राजस्व अभिलेख में पूर्ववत् अंकितानुसार अभिलिखित रखने हेतु आदेश प्रदान कराया जावे ।

रेस्पोडेण्ट सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम खामौर तहसील शाहपुरा के नामान्तरकरण सं. 1447 में ग्राम खमौर के आराजी नं. 222,224 गिरधारी पिता छोगा गुर्जर सा.दे. खातेदार से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के प्रकरण सं. 160/90 निर्णय दिनांक 19.07.2000 में जारी डिक्री के आधार पर रतनलाल पिता लादूराम भण्डारी (माहेश्वरी) सा.दे. के नाम पर दर्ज किया गया जिसे तहसीलदार शाहपुरा द्वारा दिनांक 15.06.2016 को स्वीकृत किया गया हैं । रेस्पोडेण्ट सं. 01 ने उक्त आराजी दिनांक 30.11.1984 को कय कर विकय पत्र का पंजीयन करवाया । इस रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर रेस्पोडेण्ट सं. 01 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा में दावा प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 19.07.2000 को दावा रेस्पोडेण्ट के पक्ष में डिक्री हुआ हैं । इस डिक्री की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा में प्रकरण सं. 173/2001 से दायर होकर दिनांक 07.01.2002 को अपील खारिज कर दी गयी हैं । राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 07.01.2002 की अपील राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण सं. 21/2002 दर्ज होकर निर्णय दिनांक 27.08.2003 से न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपील सारहीन होने से खारिज की जा चुकी हैं । न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 27.8.2003 के विरूद्व नजरसानी प्रार्थनापत्र न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत होकर नजरसानी प्रकरण स. 845/2004 निर्णय दिनांक 18.02.2009 से नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे ।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा है। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम खमौर के आराजी नं. 222,224 गिरधारी पिता छोगा गुर्जर सा.दे. खातेदार से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के प्रकरण सं. 160/90 निर्णय दिनांक 19.07.2000 में जारी डिक्री दिनांक 20.07.2000 के आधार पर पटवारी हल्का खामौर द्वारा रतनलाल पिता लादूराम भण्डारी (माहेश्वरी) सा.दे. के नाम पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया जिसे तहसीलदार शाहपुरा द्वारा न्यायालय की उक्त डिक्री के आधार पर रेस्पोडेण्ट सं. 01 के पक्ष में दिनांक 15.06.2016 को नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया हैं । वादग्रस्त उक्त आराजियात के संबंध में उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के निर्णय की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के यहां पर प्रस्तुत होकर प्रकरण सं. 173/2001 निर्णय दिनांक 07.01.2002 से अपील खारिज हो चुकी हैं एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के निर्णय दिनांक 07.01.2002 की अपील राजस्व मण्डल अजमेर में होकर दिनांक 27.8.2003 को अपील खारिज हो चुकी हैं । न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 27.8.2003 के विरूद्व नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ हैं जो दिनांक 18.02.2009 को खारिज हो चुका हैं। अपीलार्थी को उपरोक्त न्यायालय के निर्णय के विरूद्व सक्षम न्यायालय में रिट प्रस्तुत कर दाद हासिल करना चाहिये था । ग्राम खामौर के नामान्तरकरण सं. 1447 न्यायायलय के निर्णय एवं डिक्री की आधार पर रेस्पोडेण्ट सं. 01 के पक्ष मे तहसीलदार शाहपुरा द्वारा दिनांक 15.06.2016 को स्वीकृत किया गया हैं, जो विधि सम्मत प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अंतर्गत नामान्तरकरण सं0 1447 निर्णय दिनांक 15.06.2016 सारहीन होने से खारिज की जाती है। ग्राम खामौर के नामान्तरकरण सं. 1447 दिनांक 15.06.2016 उपखण्ड न्यायायलय शाहपुरा के निर्णय एवं डिक्री की आधार पर रेस्पोडेण्ट सं. 01 के पक्ष मे तहसीलदार शाहपुरा द्वारा स्वीकृत किया गया हैं, जो विधि सम्मत होने से यथावत रखा जाता हैं । निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शाहपुरा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/04/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा